सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकः–एफ.2(1458)डीओआईटी/संस्था/13/1321 जयपुर, दिनांकः 25.2.2013

परिपत्र

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.2(662)डीओआईटी/संस्था/07/एम.एल–506 दिनांक 14.02.2011, आदेश क्रमांक प.2(662)डीओआईटी/संस्था/07/777 दिनांक 03.03.2011 एवं प.2(662)डीओआईटी/संस्था/07/3485 दिनांक 20.09.2011 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के पश्चात सूचना सहायको को दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रुप में नियत पारिश्रमिक रुपये 7900/–प्रतिमाह पर नियुक्ति दी गई थी।

उक्त आदेश में दी गई शर्त के अनुसार परीवीक्षाधीन अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही इन सूचना सहायको को वेतन श्रृंखला (पी.बी–1) 5200–20200 (ग्रेड पे नं.9) ग्रेड पे–2400 में न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

आपके विभाग/कार्यालय मे पदस्थापित ऐसे सूचना सहायक, जिनकी परिवीक्षावधि पूर्ण होने जा रही है, के क्रम मे निम्न बिन्दुओं की सूचना परिपत्र प्राप्ति के सात दिवस मे आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षणोपरान्त ऐसे प्रकरणों मे नियमितिकरण के आदेश यथासमय प्रसारित किये जा सके :–

1. परिवीक्षाधीन अवधि में सेवा संतोषप्रद रहने का प्रमाण–पत्र।
2. कार्मि के विरूद्ध विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नही होने बाबत प्रमाण–पत्र।
3. परिवीक्षाधीन अवधि में उपभोग किये गये असाधारण अवकाश का सम्बन्धित कार्मिकवार पूर्ण विवरण।
4. परिवीक्षाधीन अवधि से सम्बन्धित कार्मिक के इस विभाग को प्रेषित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों का विवरण।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

Sd/-
(संजय ज. कर्णिक)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–.

1. संबंधित विभागाध्यक्ष।
2. संबंधित कर्मचारी।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाईट।

कार्यालयाध्यक्ष